गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

(I.S.O 9001:2015 एवं I.S.O 14001:2015 प्रमाणित संख्या)

पत्रांक 168 /वाहन पूल/23 दिनांक 05/09/2023

नीलामी की सूचना

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित निष्प्रयोज्य वाहन **"जहां है जैसा है"** आर0सी0 बुक आदि के आधार पर खुली बोली द्वारा विक्रय किया जाना है। वाहन को दिनांक 18.09.2023 को 12:00 बजे माध्यान प्राधिकरण के **मीटिंग हॉल** में नीलामी की कार्यवाही की जायेगी। वाहन के सम्मुख इंगित धरोहर राशि का डी0डी0 VC Gda Ghaziabad प्राधिकरण के पक्ष में बोली से पूर्व देना होगा।

ांक	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	मॉडल वर्ष	धरोहर राशि	आरक्षित मूल्य
1	UP14-AU-8181	एम्बैसडर कार	2009	रू 8000/–	32,000.00
2	UP14-AU-1313	एम्बैसडर कार	2008	रू 7500/–	30,000.00
3	UP14-AU-5757	एम्बैसडर कार	2009	रू 7500/–	28,500.00
4	UP14-H-9946	ट्रैक्टर	1998	रू 12000	45,000.00
5	पंजीकरण नही है।	लोडर क्रेन	2006	रू 30000/–	1,20,000.00

नियम व शर्तेः–

1. वाहन जहाँ है, जैसा है, की स्थिति में नीलाम किया जायेगा, नीलामी के बाद सर्वोच्च बोलीदाता का कोई भी दावा मान्य नही होगा।
2. धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पक्ष में बोली से पूर्व जमा करना होगा, नकद धनराशि स्वीकार नही की जायेगी।

3. बोली को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार/निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में कोई भी पत्र व्यवहार नहीं किया जायेगा।

4. बोली छूटने के उपरान्त सर्वोच्च बोलीदाता को 50 प्रतिशत धनराशि 24 घंटे के अन्दर जमा करानी होगी, ऐसा न करने पर धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, तथा द्वितीय सर्वोच्च बोलीदाता की धरोहर राशि प्रथम सर्वोच्च बोलीदाता द्वारा वांछित धनराशि जमा करने के उपरान्त ही अवमुक्त की जायेगी।

5. बोली की स्वीकृति उपाध्यक्ष महोदया द्वारा मिलने पर वाहन की सर्वोच्च बोली की शेष 50 प्रतिशत धनराशि देय कर सहित सर्वोच्च बोलीदाता को एक सप्ताह में जमा करानी होगी, अन्यथा समस्त जमा धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

6. राज्य सरकार/जिला प्रशासन द्वारा नीलामी के सापेक्ष रोपित कर सर्वोच्च बोलीदाता को अतिरिक्त रूप में जमा करने होंगे।

7. निष्प्रयोज्य वाहन के सापेक्ष निर्धारित व्यापार कर सर्वोच्च बोली की धनराशि के अतिरिक्त प्राधिकरण कोष में जमा करना होगा, जिसकी दर की घोषणा बोली के समय की जायेगी।

8. वाहन पूर्ण धनराशि जमा कराने के तीन दिवस में प्राधिकरण से बाहर ले जाना होगा। बोलीदाता नीलामी दिनांक से पूर्व वाहन का निरीक्षण करने हेतु पूल अनुभाग/वाहन रख–रखाव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सम्पर्क कर सकते है।

9. सर्वोच्च बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकरण द्वारा वाहन हस्तगत कर दिये जाने के उपरान्त परिवहन विभाग से वाहन का हस्तान्तरण सर्वोच्च बोलीदाता को अपने नाम कराना होगा, अन्यथा की स्थिति में वाहन का उपयोग वर्जित होगा, तथा किसी दंण्डनीय कार्यवाही के लिये सर्वोच्च बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होंगे।

25/9/17

प्रभारी वाहन पूल
गाजियबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद